RNI No. UPHIN/2015/63486
खबर न्याय अन्याय की...
ज़िद भ्रष्टाचार उजागर करने की...
Postal Reg. No. GPOLW/NP-117/2024-26
www.judgementaajtak.com

जजमेंट आजतक

वर्ष 14, सहयोग राशि-यथाशक्ति | सम्पादकः अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट | विशेषांक | अगस्त-अक्टूबर 2025 लखनऊ अंक–LVIV

खरी खरी...

आजादी की संघर्ष गाथा और उसको हासिल करने की कहानी बुर्जगों की जुबानी सुनने और इतिहास के झरोखे से देखने के बाद आजादी के 79वें साल में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा मन खिन्न होने लगता है, हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस सबके लिए ही आजादी का संघर्ष हुआ था? क्या इसके लिए ही आजादी हासिल की गयी? इसका उत्तर निश्चित रूप से 'ना' में है। आजादी हमारे मानव होने की गरिमा को स्थापित करके एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए ली गयी थी जिसमें हर देशवासी को अपना काम इज्जत के साथ करने का अवसर मिले, भय, भूख, अत्याचार का खात्मा हो।

आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं इन 78 वर्षों में हम आम आदमी को शुद्ध हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इससे भी आगे बढ़कर विश्वास देने के बाजय भ्रष्टाचार, अत्याचार, नैतिक पतन, कायरता, लालच और मात्र स्वार्थसिद्धि दे सके। देश आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया, लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद और भ्रष्टतंत्र हम पर राज करने लगा। जिनके ऊपर देश को चलाने की, आगे बढ़ाने की, खुशहाली लाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी वे देश की कीमत पर अपने परिवार को चलाने आगे बढ़ाने और उसकी खुशहाली को ही देश की खुशहाली मान बैठे।

जाहिर सी बात है कि यह सब करने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार का आसान रास्ता अपनाया और देश भ्रष्टाचार के कीचड़ में ऐसा धंसता गया कि इमानदारी को सांस लेना मुश्किल हो गया। हमारी गणना दुनिया के अग्रणी भ्रष्ट देशों में होने लगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भ्रष्टाचार जुकाम के रूप में था आज लाइलाज कैंसर का रूप धारण कर चुका है। 'जजमेंट आजतक' ने पिछले अंकों में 'गोपनीयता भ्रष्टाचार की जननी है' और जवाबदेही कानून जैसे मुद्दे उठा चुका है।

आज लाख टके का सवाल है संवैधानिक संस्थाओ में जन आस्था व जन विश्वास का, जो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है जिसकी बहाली नामुनकिन नहीं पर कठिन अवश्य है। इस जन आस्था व जन विश्वास की लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं में बहाली के लिए इन संस्थाओं को अपने गिरेबान में झांककर देखना होगा कि आखिर इन 78 वर्षों में आम जनता के लिए उन्होंने क्या किया?

अब तो यह अहसास होता है कि 1947 तो मात्र एक पड़ाव था मंजिल तो अभी भी बहुत दूर है। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता हमें मिली वह अधूरी थी तथा जिनके कंधो पर इसको पूरी करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर इसको विलासिता का माध्यम बनाया। आजादी को उसके बालपन में ही मसल दिया उसे पूर्ण विकसित होने का मौका ही नहीं दिया गया भ्रष्टाचार, घपलो, घोटालों की जो शुरूआत 1948 में हुई आज चरम पर है।

इस देश के नेता सबकुछ भूलकर बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। ऐसी आजादी का हश्र क्या होगा जहां अपराधियों को सदन में आने, बैठने कानून बनाने का अधिकार होगा जहां धर्माचार्यो द्वारा धर्म स्थल का उपयोग बलात्कार के लिए होगा, ईमानदार अधिकारी दंडित होंगे भ्रष्ट फले फूलेंगे। आजादी के इन 78 वर्षों के हासलि को शायर अदम गोंडवी की इन पक्तियों से समझा जा सकता है-

''काजू भुने प्लेट में ह्विशकी गिलास में,
उतरा है रामराज विधायक निवास में।

न्याय/अन्याय होता दिखे

सीधा प्रसारण संसद का हो सकता है तो न्यायालयों का क्यों नहीं?

○अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

न्यायपालिका न तो वकीलों के लिए बनायी गयी है न जजेज के लिए और न ही न्यायालय के कर्मचारियों के लिए इसका उद्देश्य जनता को न्याय देने के लिए है।

आज आम जनता में यह अवधारणा घर करती जा रही है कि अदालतों से न्याय मिलना असंभव होता जा रहा है तो क्या जिम्मेदारों का यह कर्तव्य नहीं है कि आम आदमी यह जाने कि न्यायालय से संबंधित सभी अवयव कैसे काम कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो।

भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता। आचरणगत, नीतिगत व वैचारिक भ्रष्टाचार भी भ्रष्टाचार ही होता है। नीतिगत व वैचारिक भ्रष्टाचार तो आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा घातक व हानिकारक होता है। ऐसे समय में जब आजादी के 78 वर्षों बाद भी विधायिका व व्यवस्थापिका से देश की अधिकांश जनता पूर्ण रूप से निराश व हताश हो चुकी है, उसका मोहभंग हो गया है, ले देकर थोड़ी बहुत (पूरी नहीं) आशा न्यायपालिका पर केन्द्रित है क्योंकि गाहे-बगाहे न्यायालय ऐसे जनहित के निर्णय दे देते हैं जिससे उस पर भरोसा करने का विश्वास जागता है।

आज उच्चतम न्यायालय से लेकर राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों विभिन्न न्यायिक फोरमों के न्यायाधीशों से लेकर पीठासीन अधिकारीयों तथा अधिवक्ताओं के कार्य, व्यवहार और आचरण पर सवालिया निशान उठने लगे हैं तथा न्यायालय परिसरों में बम विस्फोट, गोलीबारी और हत्या जैसी आतंकवादी घटनाएं होने लगी है, वकीलों, मुअक्किलों, कर्मचारियों के बीच मारपीट होने लगी है तो यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि कोर्ट रूम सहित पूरे न्यायालय परिसर में आडियो वीडियों कैमरे लगाये जायें जिसमें पल-पल का ब्योरा रिकार्ड हो और वक्त जरूरत पर काम आये।

जनता को यह जानने का अधिकार है कि न्यायालयों में क्या हो रहा है? मुकदमों में सिर्फ तारीखें क्यों किसकी वजह से बदल रही हैं? न्यायाधीश मुकदमों का निस्तारण किस तरह कर रहे हैं? वकील नियत समय पर आतें हैं या नहीं आते हैं तो बहस करते हैं या नहीं?

न्याय की हमारी पुरानी पंचायत पद्धति रही है। पंचायतों में गांव वालों के सामने न्याय होता था। अब तो सुरक्षा कारणों से लोग न्यायालय में प्रवेश से भी वंचित हो गए हैं, इसके लिए भी कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आजादी के 78 वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी सिस्टम के गुलाम हैं हमने मुकदमों की सुनवाई के लिए अंग्रेजी पद्धति अपनाई है।

शुरूआत में सभी न्यायालयों की समस्त कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण संभव न हो तो इतना तो किया ही जा सकता है कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों की पूरी कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो क्योंकि ऐसा करने से न्याययिक प्रक्रिया से जुड़े सभी तबकों के अन्दर जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी तथा पारदर्शिता भी आयेगी जिससे आये दिन होने वाले दोषारोपण से काफी हद तक मुक्ती मिलेगी।

अदालतों में आये दिन हो रहे झगड़े, दुव्यर्वहार, आतंकवादी घटनाएं, गोली बारी आदि का जब सीधा प्रसारण होगा तो दोषियों को चिन्हित करने उनको दण्ड देने में भी सहूलियत होगी। अभी क्या होता है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी और अधिवक्ता के बीच जब अप्रिय वाद-विवाद हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी अधिवक्ता के ऊपर अवमानना का संदर्भ बनाकर संदर्भित कर देते हैं तथा उनकी बात को गास्पेल ट्रथ मानकार ऐसे अधिवक्ताओं जो उस दिन न्यायालय में भी नहीं आये होतें हैं कार्रवाई शुरू हो जाती है। प्रतापगढ़, अलीगढ़,

शेष पेज 3 पर....

इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 24 नये न्यायमूर्ति

○ अर्चना सिंह, एडवोकेट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 24 नए न्यायमूर्तियों के शपथ लेने के साथ इस उच्च न्यायालय में न्यायमूर्तियों की संख्या 110 हो गई है। यद्यपि कि 50 पद अब भी रिक्त हैं। यहां मुख्य न्यायमूर्ति को मिला कर न्यायमूर्ति के कुल 160 पद स्वीकृत हैं।

मुख्य न्यायमूर्ति अरूण भंसाली ने न्यायमूर्ति विवेक सरन, न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान, न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन, न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला, न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह, न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय, न्यायमूर्ति चवन प्रकाश, न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-प्रथम, न्यायमूर्ति तरूण सक्सेना, न्यायमूर्ति राजीव भारती, न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र, न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति वाणी रंजन अग्रवाल, न्यायमूर्ति अचल सचदेव और न्यायमूर्ति बबीता रानी को शपथ दिलाई।

नव नियुक्त नयायमूर्तियों के परिवार वालों के अतिरिक्त अन्य न्यायमूर्तिगण तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी इस समारोह में उपस्थित हुए। ❑

गोवा पार्किंग विवाद को लेकर उ0प्र0 की जज ने कराई प्राथमिकी

○कृतिका ठाकुर, एडवोकेट

गोवा में अंजुना बीच पर पार्किंग विवाद को लेकर यूपी की जज दीपांशी चौधरी और उनके पति ने रेस्तरां कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हैं रेस्तरां के मालिक ने भी जज व उनके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों प्राथमिकी देर रात दर्ज की गइ।

अधिकारी ने बताया, उत्तर प्रदेश की सिविल जज दीपांशी चौधरी ने अपनी शिकायत में कहा है कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान अंजुना बीच स्थित रेस्तरां के कर्मचारियों ने उनके और उनके पति के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें धक्का दिया और धमकाया। स्टाफ ने उनसे छेड़कानी की। जज और उनके पति को रेस्तरां से बाहर निकाल दिया। अधिकारी ने बताया, रेस्तरां के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया हैं रेस्तरां के मालिक समर्थ सिंघल ने बाद में दीपांशी चौधरी और उनके पति नितिन लाल के खिलाफ अपने कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया।❑

रजिस्ट्री की विदाई अब स्पीड से दौड़ेंगे पत्र

●दीपक तिवारी, एडवोकेट

लखनऊ। ब्रिटिश हुकूमत के समय से चिट्ठी और दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के भरोसे वाली डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा 30 सितंबर की रात 12 बजे के बाद बंद हो गयी। एक अक्तूबर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचेगा।

रजिस्टर्ड डाक सेवा की शुरूआत 1877 में हुई थी। उस दौर में यह सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता था, जिससे कानूनी दस्तावेज, महत्वपूर्ण पत्राचार और व्यक्तिगत संदेश गारंटी के साथ गंतव्य तक पहुंचते थे। इस सेवा का बंद होना विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम जरूर है, लेकिन इसके साथ ही एक परंपरा और सस्ती सुविधा भी समाप्त हो रही है।

प्रवर डाक अधीक्षक सचिन चौबे ने बताया कि स्पीड पोस्ट सेवा थोड़ी महंगी जरूर होगी, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। पांच रूपये अतिरिक्त भुगतान करके प्रेषण पर्ची तो मिलेगी ही, उपभोक्ता वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलीवरी की सुविधा प्राप्त कर सकता है। वजन व दूरी के हिसाब से नई दरें भी तय कर दी गई हैं।

वहीं, रजिस्टर्ड डाक देश के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए ग्राहक को 17 रूपये पंजीकरण शुल्क. और प्रति 20 ग्राम वजन के लिए पांच रूपये यानी 22 रूपये ही देने पड़ते थे। स्पीड पोस्ट में 200 किमी दूरी के लिए 20 से लेकर 50 ग्राम तक भार के लिए 41.30 रूपये शुल्क देना पड़ेगा। वजन बढ़ने के साथ शुल्क भी बढ़ेगा।

स्पीड पोस्ट के जरिए भी आप कांफिडेंशियल व्यक्ति को डाक भेज सकेंगे। इसके लिए स्पीड पोस्ट मिलने वाले व्यक्ति के नाम का एक कॉलम का विकल्प दिया गया है। ❑

कैट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश व सचिव बालेंदु बने

○विवेक भूषण गुप्ता, एडवोकेट

बालेंदु भूषण त्रिपाठी

लखनऊ। गोमती नगर विस्तार स्थित कैट बार एसोसिएशन के चुनाव में दिनेश बहादुर सिंह अध्यक्ष और एम0के0 सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

मतदाताओं ने अध्यक्ष पद पर दिनेश बहादुर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मिथलेश कुमार सिंह (एमके सिंह), सचिव पद पर बालेंदु भूषण त्रिपाठी को चुना है। उपाध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव पद पर सुधांशु श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार टंडन को जीत मिली। बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए बबीता अवस्थी, आलोक शुक्ला और आनंद प्रकाश सेन को निर्वाचित घोषित किया गया।❑

दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु हो जाए या दिव्यांगता आए क्षतिपूर्ति की गणना कुशल श्रमिक की तरह होगी

●दीपक तिवारी, एडवोकेट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक दुर्घटना क्लेम मामले में सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या उसके स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर क्षतिपूर्ति की गणना उसे कुशल श्रमिक मानते हुए की जाएगी। राज्य में दुर्घटना के समय कुशल श्रमिक का जो न्यूनतम वेतन होगा, उसे ही बच्चे की आय माना जाएगा। दावेदार व्यक्ति को न्यायाधिकरण के समक्ष न्यूनतम वेतन के संबंध में दस्तावेज पेश करने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इन दस्तावेजों को पेश करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। फैसले की प्रति सभी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को भेजी जाए, ताकि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।' अब तक दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु या उसके स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की गणना नोशनल इनकम के हिसाब से की जाती है।

अब राज्य में कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के हिसाब से क्षतिपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 14844 मासिक यानी 495 रूपये प्रतिदिन निर्धारित है।

14 अक्टूबर 2012 को इंदौर निवासी आठ वर्षीय हितेश पटेल पिता के साथ सड़क पर खड़ा था, तभी एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हितेश को गंभीर चोट आई। यह कहते हुए कि उसे स्थायी दिव्यांगता आई है, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 10 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने यह मानते हुए कि हितेश को 30 प्रतिशत दिव्यांगता आई है, उसे तीन लाख 90 हजार रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने यह मानते हुए कि चूंकि हितेश की आयु सिर्फ आठ वर्ष है, क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर आठ लाख 65 हजार रूपये कर दिया।

इस फैसले से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। एक सितंबर को अपने फैसले में इसे स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति राशि 35 लाख 90 हजार रूपये कर दी।❑

आखिर सुप्रीम कोर्ट बार-बार मुंहकी क्यों खाता है?

○ विवेक भूषण गुप्ता, एडवोकेट

क्या सुप्रीम कोर्ट बिना तथ्यों का पूरी तरह विवेचना किए और मामले के सर्वांग पक्ष का विश्लेशण किए आदेश पारित कर रहा है? यह अत्यन्त चिन्तनीय विषय है। अभी हाल में दो केस ऐसे आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा।

एक केस तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस प्रशांत कुमार से आपराधिक न्याय अधिकार छीनने का तथा दूसरा सड़क के अवारा कुत्तों से संबंधित था।

न्यायमूर्ति प्रशंत कुमार को क्रिमिनल जुरिडिक्शन से अलग करने के निर्णय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से व्यापक विरोध हुआ और अन्ततः उच्चतम न्यायालय को झुकना पड़ा और निर्णय में संशोधन करते हुए उस अंश को हटाना पड़ा जिससे उनका दायित्व छीना गया था और आदेश में यह संशोधन मुख्य न्यायाधीश के पत्र लिखने के बाद

किया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई न्यायिक आदेश बिना किसी पक्षकार के मोडिफिकेशन एप्लीकेशन दिए मुख्य न्यायाधीश के प्रश्सासनिक पत्र के आधार पर संशोधित हो सकता है?

इसी प्रकार सड़क के आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का मीडिया का हर फोरम पर इतना विरोध हुआ कि तीन जजों की बेंच बनाकर दो जज की बेंच के आर्डर को संशोधित करना पड़ा। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों ही आदेश जो दबाव में संशोधित हुए एक ही बेंच द्वारा पास किये गये थे। क्या निर्णय देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार नहीं करना चाहिए ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए।❑

न्याय/अन्याय...

गोण्डा इत्यादि के मामले इसमें उदाहरण हैं। इसका एक बड़ा फायदा और होगा कि पारदर्शिता रहेगी कार्यवाही पर उंगली नहीं उठेगी न्यायाधीश भी जिम्मेदार बनेंगे तथा वकील की भी योग्यता दिखेंगी तथा न्यायालय में उनका कार्य व्यवहार दुरूस्त रहेगा।

अभी मुकदमों की सुनवाई खुले न्यायालयों में की जाती है। इस पद्धति की प्रशंसा करते हुए एम्लीन ने 'स्टेट ट्रायल्स' की भूमिका में लिखा था-'दूसरे देशों में न्याय, दरवाजे बन्द करके किया जाता है, लेकिन हमारे देश में न्याय करते समय न्यायालय के दरवाजे खुले रहते हैं' और बैन्थम ने तो यहां तक कह दिया था कि 'गोपनीयता के अंधकार में कई स्वार्थी हित और बुराइयां प्रवेश ले लेती हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्रचार ही ऐसा माध्यम है, जो अन्याय को नियंत्रित कर सकता है। जहां प्रचार नहीं है वहां न्याय नहीं है। प्रचार (पब्लिसिटी) न्याय की आत्मा है।' (1911 आल इंग्लैण्ड रिपोर्टर 30) बैन्थम का यह विचार ही आज हमारे देश में 'मीडिया ट्रायल' के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। मीडिया, जो लोकतंत्र को प्रचारित एवं प्रसारित करके शेषितों एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने में सफल हो सकता है। लेकिन आज का सोशल मीडिया आधे अधूरे तथ्यों को जिस तरह से तोड़-मोड़ कर आम जनता को परोस रहा है वह अच्छी बात नहीं है, सीधे प्रसारण से इससे भी मुक्ति मिलेगी।

कोर्टों में जो दुर्भाग्य पूर्ण घटनाएं घटित हुई उसमें यह मायने नहीं रख्ता है कि कौन जीता कौन हारा, हार जीत तो किसी की हुई हो लेकिन इतना तो तय है कि यह संस्था (न्यायपालिका) हारती है और इसकी गरिमा को ठेस भी लगती है। यदि कोर्टरूम से सीधा प्रसारण हो जाय तो यह बहुत आसान हो जाता कि कोर्ट की अवमानना किसने की और दोषी को इसकी उचित सजा मिलेगी।

अधीनस्थ न्यायालयों की समस्त कार्यवाही का सीधा प्रसारण न भी संभव हो तो आडियो विडियो रिकार्डिंग करके सुरक्षित रखने के कानून मंत्रालय के प्रस्ताव पर लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने भी अपनी सहमति भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के दो कोर्टों की रिकार्डिंग का आदेश दिया था। जजमेण्ट आजतक की बहुत पुरानी मांग थी कि पूरी कोर्ट प्रोसिडिंग की आडियो वीडियो रिकार्डिंग करायी जाय और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी यह मुहिम कामयाब होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के ही माननीय न्यायमूर्ति आदेश कुमार गोयल एवं न्यायमूर्ति यू.यू.ललित की बेंच ने न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की निचली अदालतों में अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए कहा था। शीर्षअदालत ने कहा था कि अब समय आ गया है कि अदालती कार्यवाही के हर शब्द को रिकार्ड किया जाए। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में वादकारी स्वयं उपस्थित रहता है जबकि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए पास की व्यवस्था करनी पड़ती है।

विश्व के अनेक देशों में इस तरह पूरी कोर्ट प्रोसिंडिंग की रिकार्डिंग की व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। यदि यह व्यवस्था हमारे देश में भी लागू होगी तो न्यायिक पारदर्शिता आयेगी और न्याय सिर्फ होगा नहीं बल्कि होता हुआ दिखेगा भी।

इस सीधे प्रसारण की व्यवस्था का एक और फायदा होगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता के नामितीकरण, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति तथा सेवानिवृत्ति के बाद आयोगों, पंचाटों आदि में नियुक्ति से पहले इनकी योग्यता और क्षमता का बेहतर आंकलन हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इसकी शुरूआत कर दी है यह पूरे देश के लिए होना चाहिए। अब इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू होना चाहिए।❑

विशेष कानून का दुरूपयोग

लखनऊः अनुसूचित जाति और जनजाति को संरक्षण देने, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों और शोषण से सुरक्षा के लिए 1989 में एससी-एसटी एक्ट बनाया गया था। एक्ट को बनाने के बाद ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई। इस एक्ट ने पीड़ितों को राहत तो पहुंचाई, लेकिन काफी हद तक इसका दुरूपयोग भी किया जा रहा है। इस बात का प्रमाण हाल में ही चार मामलों में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की ओर से सुनाया गया फैसला है। विशेष न्यायाधीश ने झूठा केस दर्ज कराने वाले चार लोगों को कड़ी सजा और जुर्माने से दंडित किया है। इससे झूठे केस दज कराने वालों को कड़ी नसीहत मिली है।❑

कतन्ना -शब्दवेधी

- ☐ भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बन गया था। -केशव प्रसाद मौर्या
- ♦ बिल्कुल सही। और आने वाली सरकारें भ्रष्टाचार की पालक पोषक बनी और उन सरकारों में भ्रष्टाचार, शिष्टाचार से आगे निकलकर अधिकार बन गया।
- ☐ ब्राह्मण से सावधान रहने की जरूरत -स्वामी प्रसाद मौर्या
- ♦ लगता है ब्राह्मणों ने बिना तेल के इसकी मार दी है जिसका दर्द अभी तक हो रहा है।
- ☐ मायावती ने आकाश को बनाया राष्ट्रीय संयोजक और उनके ससुर को कोआर्डिनेटर -न्यूज
- ♦ घर की पार्टी है भाई-भतीजे के अलावा और किसे बनाए एक कहावत हैः- 'माई धिया गौनहर, बाप पूत बराती'
- ☐ हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया -ट्रंप
- ♦ आधी छोड़ पूरी को घावैं। आधी मिले न पूरी पावैं।। यह हाल ट्रंप का है।
- ☐ आप राजनेता है तो मोटी चमड़ी रखें -सुप्रीम कोर्ट
- ♦ अरे, यह क्या! आपने तो अंधे के हाथ में बटेर दे दी, नेता तो वैसे ही असंवेदनशील मोटी चमड़ी वाले होते हैं। जनता के दुःख दर्द का उन पर कोई असर नहीं पड़ता अब तो वे कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मोटी चमड़ी रखने के लिए कहा है।
- ☐ भ्रष्टाचार करने वाले चेहरा उठाकर नहीं कर पाते बात - मुख्यमंत्री योगी
- ♦ तभी तो आपके सामने आपके मंत्री, नेता, अफसर नजरे झुका कर बात करते हैं।
- ☐ टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर अब लंबी लड़ाई लड़ेगा शिक्षक संघ। -शिक्षक संघ
- ♦ जब पढ़ाना ही नहीं है तो योग्यता की क्या जरूरत इसीलिए तो पैसा कौड़ी देकर नौकरी पाई अब बीच में सुप्रीम कोर्ट ने नया झमेला खड़ा कर दिया।
- ☐ इस समय का मुख्य नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और ये पूरे देश में साबित हो गया है -राहुल गांधी
- ♦ क्या साबित हो गया कि जो वोट चोर है गद्दी उनसे छिन गयी?
- ☐ 97 लाख वाहनो को कबाड़ में बदलने से 40 हजार करोड़ बढ़ेगा राजस्व -नितिन गडकरी
- ♦ कार कम्पनियों से कितना पैसा खाया है क्या एथनोल से पेट नहीं भरा था क्या?
- ☐ जनता के टैक्स के पैसे से चलती है सरकार धन का सदुपयोग विधायकों की जिम्मेदारी -सतीश महाना, अध्यक्ष विधान सभा
- ♦ कर तो रहे हैं सदुपयोग, वेतन, भत्ते, पेंशन, परिवार वालों को ठेका, पट्टी सब कर तो रहे है।
- ☐ जेन-जी बचाए लोकतंत्र व संविधान -राहुल गांधी
- ♦ जहां के जेन-जी से प्रेरणा लेकर आप ये सलाह दे रहे हैं वहां नेताओं का भ्रष्टाचार, व परिवारवाद आधार था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनके परिवार वाले, वर्तमान प्रधानमंत्री, मंत्री व उनका परिवार ही निशाने पर था और अगर उसी तर्ज पर यहां हुआ तो सबसे पहले तो आप ही चपेटे में आओगे।
- ☐ मुझे घर जैसा ही लगता है पाकिस्तान-सैम पित्रोदा, ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष
- ♦ अपने परिवार के साथ वहीं चले जाओं अपनो के बीच में।
- ☐ तत्काल समाप्त करें अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा -उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
- ♦ मान्यवर, जाति धर्म का उल्लेख संविधान से ही हटवाइये तो कुछ बात बने।
- ☐ ट्रिब्यूनल के कुछ गैर न्यायिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश देने से कतराते है -सीजेआई बी0आर0 गवई
- ♦ माई लार्ड ट्रिब्यूनल के सिर्फ गैर न्यायिक समस्या ही नही न्यायिक सदस्य और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कतराते हैं स्वीटेबुल एडजस्टमेंट के चक्कर में।

समीक्षा

हाँ मैं हूँ

- **श्री महेंद्र भीष्म जी एक जीवंत कृतिकार और उतना ही जीवंत हैं उनका उपन्यास हाँ, मै हूँ**

–राजेश कुमार सिंह 'श्रेयस'

महेंद्र भीष्म (महेंद्र प्रताप अवस्थी) हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा नाम जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब तो देश भी गर्व करता है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती महोबा कुल पहाड़ मैं जन्मे महेंद्र भीष्म ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बनाई तो उनकी कलम ने एक के बाद एक नए इतिहास रच दिए। आपके उपन्यासों की बात करें तो आपने अब तक कुल पांच उपन्यास लिखे हैं । आपके बहुचर्चित उपन्यास किन्नर कथा,मैं पायल के बाद , हां,मैं हूं भी गोमती पुस्तक मेले में मेरे नजरों के आगे आयी।

सुखद अवसर था कि उनकी यह नई कृति 'हाँ, मैं हूँ' सहित अन्य दो पुस्तकों का विमोचन हास्य व्यंग विधा प्रख्यात साहित्यकार एवं साहित्य जगत में साहित्य और साहित्य से जुड़े लोगों को सम्मान देने और दिलाने वाले आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी और उनकी संस्था हिंदी साहित्य सभा एवं आद्विक प्रकाशन के सौजन्य से विमोचित भी हुई। मैं इस आयोजन के आयोजक आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, आद्विक प्रकाशन एवं तीनों ही पुस्तकों के कृतिकार विद्वान् साहित्यकार गण को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का समय मुझे वहां तक पहुंचने में बाधित कर रहा था वरना मैं एक सुधी श्रोता एवं पाठक वाले अधिकार से साहित्यिक कार्यक्रमों में पहुंच ही जाता हूं।

कार्यक्रम में मेरे प्रिय साहित्य कारगण श्री रसिया जी, श्री महेश जी और श्री अवधी हरि जी भी मिलते मुझे मुझे खुशी होती और भी लोग मिलते लेकिन समय की बाध्यता बाधक बनी।

अब बात करता हूँ श्री महेंद्र भीष्म जी के इस उपन्यास की, जो समलैंगिकता पर आधारित है और शोधपरक उपन्यास है।

अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित कुल 214 पृष्ठ का यह उपन्यास हाँ,मैं हूँ का कारवा अभी गतिमान है. इस बात की उद्घोष्णा महेंद्र भीष्म जी अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर लिखते हुए कहते हैं कि उपन्यास हां मैं हूं का अगला भाग लिखा जा रहा है इसका मतलब उपन्यास का अगला भाग शीघ्र आएगा।

जटिल और कठिन विषयों पर अपनी कलम चलाने की ताकत रखने वाले और इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा की पूरी कहानी आपके उपन्यास के प्रारंभिक पृष्ठ पर छपे पुनरावलोकन को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है।

श्री महेंद्र भीष्म जी ने अपने उपन्यास के पूरे कथानक को तीस भागों में बटोर कर सजाया है ।

उपन्यासकार पहला भाग उपन्यास के मूल विषय को उद्धरित करने में तब सफल हो जाता है जब उपन्यासकार ने लिखा-

वह आज की रात को यादगार बनाना चाह रही थी और सुहागरात के पहले ऐसा कुछ नहीं करना उसे उचित ही लग रहा था। शुभम की ओर से कोई खास क्रिया -प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी जबकि नव विवाहितों में ऐसा कहां होता है। उपन्यास का यह अंश शुभम के दुर्बल मानवीय प्रवृति की ओर इंगित करता है।

वहीं उपन्यास का चौथा भाग 'सुहागरात' कथानक के मूल भाव को परत दर परत खोलता हुआ प्रतीत होता है।

उपन्यास का ग्यारहवां भाग 'नियत में खोट' रूम अटेंडेंट कमरजीत की नियत को बयां कर रहा था,

शुभम की स्वयं की यह मानवीय दुर्बल प्रवृत्ति इस उपन्यास के कथानक के कई अंशो में अपनी उपस्थित दर्ज कराती है। जिसे मेरी समीक्षात्मक दृष्टि देखती है।

उपन्यास का विषय केवल एक जेंडर पर ही केंद्रित नहीं है इसका दूसरा पक्ष जो स्त्री पक्ष है, उनमें से कुछ एक के मन में भी ऐसे विचार और स्वभाव जन्म ले लेते हैं। उपन्यासकार ने अपनी कलम की क्षमता से इन दोनों के मनः स्थिति को अपने कथानक के माध्यम से एक वृत्त में समेटा है।

उपन्यास का भाग सोलह 'मौड़ी के व्याह की फिकरे' और भाग बीस 'आगमन' दोनों ही भागों मे मीरा और सागरिका के बीच के अंतर संबंधों को उपन्यासकार ने अपने कलम के माध्यम से कथानक में बेहतर ढंग से प्रवेश कराया है और विशेष रूप से सागरिका जो प्रवृत्ति से समलैंगिक स्त्री है, उसकी प्रत्येक मनरूस्थिति को जीवंत ढंग से अपने इस उपन्यास में उद्घाटित किया ।

पूरे उपन्यास को उपन्यासकार ने बड़े

ही मनोयोग से शुभम, मीरा, सागरिका सहित अन्य कई पात्रों को केंद्र में लेकर समलैंगिकता जैसे जटिल विषय पर बड़ी ही सजगता और सटीकता साथ अपनी जादुई कलम चलाते हुए उपन्यास को पूरा करने का प्रयास किया है। यदि विषय गंभीर है तो उपन्यासकार भी इस विषय मे गंभीर है,

उपन्यास के अंतिम भाग तीस के शीर्षक 'मै जो हूँ वो मैं हूँ' के एक अंश को उपन्यास का शीर्षक श्हाँ, मै हूँ श्रखते समय उपन्यासकार में अवश्य यह विचार किया होगा, कि मैंने अपने इस जटिल उपन्यास को इन छः शब्दों में पूरा का पूरा पिरो देने में सफलता हासिल कर ली है, अतः इस उपन्यास का शीर्षक भी मेरे इन छः शब्दों में से ही होने चाहिए ।

उपन्यास कठिन विषय पर है इसलिए इसको लिखने में शब्दों की, घटनाओं की,भावनाओं की अपनी समुची ताकत श्री महेंद्र भीष्म जी ने झोक दी है।

उपन्यासकार तेइसवा भाग 'प्रायश्चित' के जीवंत कर देने वाले कथानक, मृत्यु को वरण करने वाले पात्र अभिसार की वेदना के पत्र के प्रत्येक शब्द साहित्यिक दृष्टिकोण से न सिर्फ यादें हैं बल्कि दूरगामी सन्देश को प्रेषित करने में सफल होते है ।

एक उपन्यासकार और समीक्षक के रूप में मेरी समझ की अपनी एक सीमा है। मैं अपने इस छोटे समीक्षात्मक आलेख को पूर्ण समीक्षा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी समझ जहां तक गई है या मैं इस पुस्तक के बीच के कुछ अध्यायों एवं उनके कुछ एक अंशो को पढ़कर जो समझ पाया हूँ , उन्हें अपने साहित्यिक शब्दों एवं भावों में व्यक्त करने का प्रयास किया हूं। यह मेरी व्यक्तिगत सोच आधारित पुस्तक समीक्षा है। इस पुस्तक के विषय पर अन्य साहित्यिक विद्वान जनों की समीक्षाएं अलग दृष्टिकोण के साथ अलग ढंग की हो सकती है। ऐसे जटिल विषय पर लोगो के क्या विचार होते हैं यह स्वयं में अलग विषय है। इस विषय पर भी लोगों के अपने अलग-अलग विचार हो सकते हैं।

वैसे इस विषय पर मेरा भी कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। मेरा यह समीक्षा आलेख इस विषय पर व्यक्तिगत विचार का अंश भी नहीं है।

गंभीर से गंभीर विषय को शीर्षक बनाकर उस पर गंभीर साहित्य लेखन करना । अपनी कलम से किसी भी विषय या घटनाक्रम को कागज़ पर सजीव रूप में उतार देना ।अपनी कल्पनाशीलता को आसपास की सामाजिक दुनिया तक ले जाकर, एक कथानक का सृजन करना तथा उस पूरे कथानक को जीवंत कर उसे उपन्यास या सजीव कहानी का रूप दे देना, लेखन के इन विशेष गुणो को श्री महेंद्र भीष्म जी से सीखा जा सकता है । विशेष रूप से औपन्यासिक लेखन क्षमता में श्री महेंद्र भीष्म जी की कलम बेजोड़ है ।

श्री भीष्म जी अपने उपन्यास के कथानक की पूरी कथावस्तु एवं और पात्रो को पाठक के सामने लाकर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखते हैं ।

उपन्यासकार महेंद्र भीष्म जी के साहित्यिक अनुभव के विषय में इतना कहना चाहूंगा कि - उपन्यास लेखन के लिए विषय चयन आपकी साहित्यिक परख को उजागर करता है । आपकी कहानी ष्लालचष ष्स्टोरीष ष्तीसरा कंबलष त्रासदी आदि पर लघु फिल्में बन चुकी है, यह आपके लिखे कहानियों उपन्यासों की महिमा ही है ।

सामान्य पाठक से लेकर शोधार्थी विद्यार्थी तक आप की इन कृतियों को बहुत आगे तक ले जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। आपका साहित्य, नई ऊंचाइयों को स्पर्श करें, अमर कृतियों के रूप में स्थापित हो इसी कामना के साथ मैं आपको आपकी इस इस कृति के लिए बधाई देता हूं।

लखेकः
महेन्द्र भीष्म
(महेंद्र प्रताप अवस्थी)
निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव,
इलहाबाद उच्चन्यायालय,
लखनऊ

ओबीसी कौन?

राजनीतिक दलों ने आज पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक अपनी सत्ता लोलुप्ता के कारण जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया है कि समाज का पूरा तानाबाना ही छिन्न-भिन्न हो गया है।

ओबीसी का तात्पर्य संविधान में अन्य 'पिछड़ा वर्ग' "क्लासेज" है, न कि 'जाति', क्योकि संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण नही दिया जा सकता है (अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जातियों को छोड़कर) लिहाजा वीपीसिंह ने बड़ी चालाकी से इस कानून को संविधान सम्मत बनाने के लिए 'क्लासेज' शब्द का प्रयोग करके क्लासेज के अंतर्गत जातियों को रखकर आरक्षण की राजनीति खेल दी (जबकि उनका असली उद्देश्य था जातिगत राजनीति का नया प्रयोग) आप में से बहुत कम लोगो को मालूम होगा कि ओबीसी 'क्लासेज' में पिछड़ी जातियों के नाम पर सभी हिन्दू वर्ण के लोगो को रखा गया और यहां तक कि कुछ मुसलमान जातियों को भी।

पहले 'मुसलमानों'की बात करते है-

अंसारी, कुरैशी, सैफी, फ़क़ीर, कसाई, राईन, इदरीसी, चुरिहर, ढोर, रंगरेज समेत दर्ज़नो अन्य मुस्लिम जातियां ओबीसी में आरक्षण का लाभ लेती है, ये तथ्य ज्यादातर लोगों को मालूम ही नही है, और नेताओ को भी नही, इसीलिए राजनैतिक पार्टियां मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण मांगती है।

ताज़्ज़ुब की बात देखिए हिन्दू 'क्षत्रिय' भी शामिल हैं ओबीसी वर्ग में-

राजपूत, राजभर, कुशवाहा, मौर्या, शाक्य, सैनी, कंबोज और आश्चर्य देखिए - द ग्रेट, मराठा भी शामिल है ओबीसी में (कुछ राज्यो में), ये सारी जातियां विशुद्ध क्षत्रिय वर्ण की है।

अब आइये आपको बताते है कौन से 'वैश्य' भी शामिल है ओबीसी वर्ग में- -तेली, हलवाई गुप्ता, विश्वकर्मा, कानू, लोहार, बांसफोड़, अग्रहारी, मोध तेली आदि बहुत से वैश्य ओबीसी क्लासेज में शामिल है।

लेकिन सबसे चौकाने वाला तथ्य अब सुनिये--न जाने कितनी 'ब्राह्मण' जातियां भी ओबीसी क्लासेज में शामिल हैं-

कानुजिया, गोस्वामी, शाकद्वीपी, पुसरी, पुष्पक, नाथ, जोगी, देषष्ठ (आरएसएस मुखिया हेडगेवार जी की जाति), ॠग्वेदी (ॠग्वेद पढ़ाने वाले), गुरव (शिव मंदिर के पुजारी) आदि आदि कई ब्राह्मण जातियां , विभिन्न राज्यो में, ओबीसी क्लासेज के अंतर्गत आती है।

मेरे खयाल से अब तक आप अच्छे खासे चौंक चुके होंगे।

(चौथे वर्ण शूद्र की जातियां तो ओबीसी में है ही क्योकि उस युग के शुद्र आज के अनुसूचित जाति नही है) और सुनिये, पिछड़ेपन की कसौटी अंग्रेजो ने बनाई--जो जाति सरकारी नौकरी में कभी नही रही, और मंडल कमीशन ने बनाई -आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन (दोनों कसौटियां बेहद दोषपूर्ण थी क्योकि सिर्फ सरकारी नौकरी करना प्रगति का मापदंड कैसे हो सकता है?) भूमिहार, कुमहार ,यादव ऐसी जातियां है जिनके पास सर्वाधिक भूमि व धन एवं जैवीय संपदा है परंतु सिर्फ उस समय सरकारी नौकरी में कम उपस्थिति के कारण इनको पिछड़ा कहा जाने लगा।

लेकिन अखिलेश व राहुल जैसे लोग सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की विभिन्न जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे है, उनके दिमाग मे इन तथ्यों को लेकर सिर्फ सन्नाटा होगा, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि हिंदुओं के हर वर्ण के लोग ओबीसी ग्रुप में है,, तभी वो लड़वाने व बांटने की कोशिश हर वक्त करते है, ताकि बंटे हुए हिन्दू व एकमुश्त मूस्लिमो के वोट लेकर सत्ता हथियाई जा सके। और खेद है कि जनता भी अनभिज्ञ है इन तथ्यों से।

आपसे अनुरोध है कि देश और समाज की भलाई , एकता व अखंडता हेतु लड़ाई या वैमनस्व न करें , सभी जातियां व वर्ण, ओबीसी में शामिल है, ओबीसी एक क्लास है न कि जाति।

सभी को ईश्वर ने दो हाथ दो पैर एक दिमाग दिया है ,वर्तमान में किसी के पास अवसरों की कमी नही है।

इस सस्ती राजनीति से समाज व देश को बांटने का काम करने में इन राजनेताओं की मदद न करें।❏

हाईकोर्ट सेशन कोर्ट का अधिकार न छीने

❍डॉ0 एस0के0 शर्मा, एडवोकेट

''हालांकि, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जिस जल्दीबाजी के साथ कार्यवाही की, वह चिंता का विषय है। जबकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को अग्रिम जमानतत के लिए अर्जी सुनने के लिए समवर्ती न्याय क्षेत्र दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह कहा है कि हाई कोर्ट को हमेश यह प्रोत्साहित करना चाहिए कि पहले वेकल्पिक /समवर्ती उपाय को अपनाया जाए -सुप्रीम कोर्ट''

उक्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बाद फिर हाई कोर्ट को आगाह किया है कि वह सीधे अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने से बचें और सामान्यत: पक्षकारों को पहले सेशन कोर्ट में जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए, इसके बाद ही हाई कोर्ट की समवर्ती न्यायक्षेत्र का उपयोग करना चाहिए।

मामला पटना में एक स्वास्थ्यकर्मी की हत्या से जुड़ा था जिसे कथित रूप से पैसे उधार देने वालों के कहने पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मृतक से लाखों रूपये जबरन वसूलने के बाद, जब वह और पैसे नहीं दे सकी तो आरोपियों ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लगा दिया। आरोपियों ने गिरफ्तारी की आशंका में सीधे पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी और जमानत मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों वाले इस मामले में, बिना ठोस कारण बताए, अग्रिम जमानत दे दी गई। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने राहत देने से पहले शिकायतकर्ता को पक्षकार के रूप में शामिल तक नहीं किया।

कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों को पहले सेशन कोर्ट भेजना जमानत याचिकाओं की दो स्तरों वाली जांच सुनिश्चत करता है: इससे हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट की विचारधारा का लाभ मिलता है और शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट में याचिका का विरोध करने का अवसर भी मिलता है।

इस दृष्टिकोण से सभी पक्षों के हित संतुलित रहते हैं। पहले पीड़ित पक्ष को हाई कोर्ट में चुनौती देने का मौका मिलता है और दूसरा, हाई कोद्य को सेशन कोर्ट द्वारा लागू की गई न्यायिक दृष्टि का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, बजाय इसके कि वह सीधे अपने विचार से मामले पर निर्णय करें।

यह निर्णय इस पृष्ठभूमि में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया था, क्योंकि वह सेशन कोर्ट को दरकिनार करते हुए सीधे जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

2023, में, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट बार ऐसोसिएशन बनाम असम राज्य एवं अन्य मामलों में यह विचार करने का निर्णय लिया था कि ''क्या हाई कोर्ट के पास यह विवेकाधिकार है कि वह धारा 438 के तहत आने वाली याचिका को इसलिए नहीं सुने कि आवेदनकर्ता को पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना चाहिए।''❏

गलत प्रावधान में दाखिल याचिका में सुधार की इजाजत कोर्ट का अधिकार

❍अनुराग प्रताप सिंह, एडवोकेट

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने कहा कि तकनीकी कारणों से गलत प्रावधन में दाखिल याचिका को अदालत सही वैधानिक कार्यवाही में तब्दील करने की इजाजत दे सकती है। क्योंकि महज तकनीकी आधार पर किसी पकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

इस टिप्पणी के साथ अदालत ने वायुसेना महाराजपुर ग्वालियर की ओर से आगरा की भुल्लर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दाखिल याचिका को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में तब्दील करने का आदेश दिया है। 2022 में एक मध्यस्थ ने कंपनी के पक्ष में अवॉर्ड दिया था।

केंद्र सरकार (वायुसेना) ने इस अवॉर्ड को चुनौती दी लेकिन आगरा के जिला जज ने 25 मार्च 2010 को आपत्तियां खारिज कर दी।❏

मीडिया 'वाच डाग 'से 'स्ट्रीट डॉग' तक

○डॉ0 एस0के0 शर्मा, एडवोकेट

आजादी से पूर्व मीडिया (पत्र/पत्रकारिता) एक मिशन ही नहीं जंगे आजादी का एक धारदार हथियार भी था। वैसे तो भारत में पहला अखबार अंग्रेज सम्पादक जेम्स अगस्टस हिक्की ने सन् 1780 में बंगाल गजट के नाम से निकाला लेकिन हिन्दी का पहला अखबार मार्तण्ड 1826 में साप्ताहिक के रूप में पं0 जुगल किशोर शुक्ल के सम्पादन में प्रकाशित हुआ। जब जंगे आजादी में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका बढ़ने लगी तो अंग्रेजो ने 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया परन्तु मिशनरी पत्रकारिता पर अंकुश लगाने में अक्षम साबित हुए। वह पत्रकारिता 'क्रांतिसंयुक्त' पत्रकारिता थी जिसके पुरोधा स्व0 बाबूराव विष्णु पराड़कर थे जिसकी अगली कड़ी गणेश शंकर विद्यार्थी हुए।

समय के साथ जो गिरावट समाज में आयी वह इस व्यवसाय में प्रमुखता से दिखने लगी। विशेषकर नैतिकता तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सिरे से गायब हो गयी। आज धन से नैतिकता व सामर्थ्य से सिद्धान्त का नाता टूट गया है। यह स्थिति एक दिन में नहीं आयी, आज से पचासों वर्ष पूर्व ही यह क्षरण शुरू हो गया था जो अब गलित कोढ़ का रूप ले चुका है।

1973 में छपी पुस्तक 'पत्रकारिता: संकट और संत्रास' में हेरम्ब मिश्र ने लिखा है-

''येल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय पर दिये गये अपने एक भाषण में, विलियम लेविस ने कहा था, 'पक्षपात चाहे वह देश भक्ति के नाम पर हो या और किसी तरह का हो बेईमानी है....'

'पत्र- स्वामियों, विज्ञापन दाताओं तथा सरकार के दबाव और प्रभाव के साथ पत्रों के

तवायफ़ बिकती है तो एक जिस्म बर्बाद होता है मगर जब कलम और जुबान बिकती है तो पूरा देश बर्बाद हो जाता है।

लोकतन्त्रात्मक कर्त्तव्यों में बाधा की बात अब सब जगह सुनी जाने लगी है।

अधिकारियों के आदेश के अनुसार चलने, उनकी प्रशंसा करने, पहले से ही तैयार उनके वक्तव्यों को प्रकाशित करने, पत्रकारिता के व्यापार के रूप में बदल जाने, युद्ध, उत्तेजक मनोरंजन, जुआ व दूसरे अपराधों को प्रोत्साहन देने,

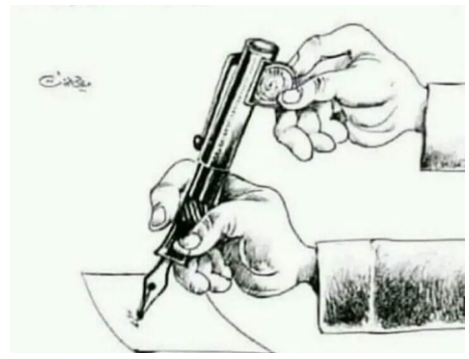

बहुसंख्यक भले लोगों के बजाय कुछ थोड़े से ही लोगों के बारे में अधिक लिखने, औद्योगिक समाज को ज्यों का त्यों कायम रखने, दानवी उद्दाम वासनाओं का प्रदर्शन करने, रिश्वतखोरी तक में पड़ने, सच्ची बातों को दबा कर झूठी बातें प्रस्तुत करने या नकल की नकल करने, सनसनी पैदा करने, किसी घटना के सम्बन्ध में परस्पर-विरोधी समाचारों में से उन्हीं को प्रस्तुत करने, जो एक खास भावना को तुष्टि करते हों और जनता में एक अभीष्ट प्रचारात्मक प्रभाव डालते हों, लोकतंत्र की ओट में या सीधे-सीधे लोक तन्त्रात्मक स्वतन्त्रता के नाम पर उलटा-सीधा सब कुछ करने.... ।''

किसी समय पत्रकारिता में समाचार की पवित्रता को बनाये रखना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया था! किन्तु आज समाचार के साथ व्यभिचार करना ही जैसे पत्रकारिता की कला, उसका सिद्धान्त और दर्शन मान लिया गया है। विशुद्ध और निष्पक्ष समाचार तो दुर्लभ हो रहे हैं। किन्तु, क्या इस स्थिति पर आंसू बहाने वाला भी कोई है?''

कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो आज मीडिया/पत्रकारिता में दलाल, ठेकेदार, प्रापर्टी डीलर, देशद्रोही, अपराधी ब्लैकमेलर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं जो दूसरों के भ्रष्टाचार, अनैतिकता पर उंगली उठाते हैं वे-

- अपने मालिक के भ्रष्टाचार टैक्स चोरी पर कितनी खबरें छापते/दिखाते हैं?
- किस नैतिकता के तहत जनता के टैक्स से बने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के मकान पर कब्जा जमाते हैं? तिजोरी लाला की भरते हैं बोझ सरकार पर डालते हैं।
- किस नैतिकता के तहत लाला के लिए दलाली करते हैं?
- किस नैतिकता के तहत मीडिया हाउस में महिलाओं के शोषण पर मौन हो जाते हैं?
- किस नैतिकता के तहत भ्रष्टाचारियों का फोटो छापते-दिखाते हैं?

अपने इसी पतन के कारण जो मीडिया नायक था अब खलनायक बन गया है। पिछले वर्षो में जो भी घपले, घोटाले भ्रष्टाचार उजागर हुए उन्हें मीडिया पत्रकारों ने नहीं बल्कि आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं, या सी.वी.सी., सी.ए.जी. ने ही किये हैं। जहां मीडिया से इतर जागरूक लोग या सरकारी संस्थाए इन घोटालों की उजागर कर रही थी जो कि मीडिया का काम है क्योंकि मीडिया को वाचडाग कहा जाता है वहीं मीडिया वाच डाग की बजाय सिर्फ स्ट्रीट डाग की भूमिका निभा रही है और अपनी हड्डी के लिए मीडिया हाउस के मालिकों का हित साधने के लिए इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा और जब ये मामले उजागर हो गये तो इनपर अपनी रोटियां सेकने के लिए बड़ी-बड़ी डिबेट में गला फाड़ने लगे इससे शक्ति सम्पन्न व प्रभावशाली लोगों का मुद्दा सीधे उठाने में बच भी गये और बाद में गला फाड़कर 'आटापोत भंडारी' भी बन गये। ये इनकी चरित्रशून्यता को दर्शाता है।

आज मीडिया में चाहे प्रिन्ट हो, इलेक्ट्रानिक हो या सोशल 90 प्रतिशत सूचनाएं (खबरें तो अब होती नहीं) पेड होती हैं। विज्ञापन व प्रायोजित के बीच में सूचनाएं लुकाछिपी के अंदाज में दिखाई देती हैं।

मीडिया धनलोलुपता में इतना अंधा हो गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने में भी नहीं हिचक रहा है। जब जनधन को पैसे से सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो लगाने की मनाही कर दी तो कभी परिशिष्ट के नाम पर कभी कान्क्लेव के नाम पर कभी मीडिया मार्केटिंग इनिशियेटिव के नाम पर नेताओं के फोटो वाले सरकारी न्यूज छापने लगे।

मीडिया ने आज अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है उसका न तो अब जनता से कोई सरोकार है न ही समाजहित व देशहित से उसको तो अब केवल भांडगीरी करना है। नेता, उद्योगपति मीडिया गठजोड़ केवल देश को लूटने में लगा है।❑

डिस्प्ले बोर्ड या रिस्कले बोर्ड

लखनऊः उच्च न्यायालय आज कोरिडोर में एक अधिवक्ता बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा भाई साहब क्या हो गया आप इतना अपसेट क्यों हैं?

उन्होंने झल्लाते हुए कहा ये डिस्प्ले बोर्ड क्यों लगें हैं? मैनें कहा आपके, मुअक्किलों और मुंशियों की सुविधा के लिए कि आप कहीं भी हों किसी कोर्ट में, कोर्ट के बाहर या गैलरी में तो यह जानकारी हो जाय कि किस कोर्ट में क्या काम चल रहा है। फ्रेश, सप्लीमेण्ट्री या लिस्ट तथा उसका नम्बर तो वहां पहुंचकर अपना केस कन्डक्ट कर लें। अब उनकी झुंझलाहट थोड़ी और बढ़ गयी बोले यही तो नहीं होता। बोर्ड में कुछ और आ रहा है चल कुछ और रहा है।

इस डिस्प्ले बोर्ड के चक्कर में मेरा मुकदमा डिसमिश इन डिफाल्ट हो गया। इतने में एक अधिवक्ता आ गये जिन्होंने अंदर की बात बतायी। बोले अरे ये हमारी आपकी सुविधा के लिए थोड़े ही लगे हैं ये तो कमीशन के लिए लग गये थे। तभी तो पचास प्रतिशत कोर्ट में इनकी सही जानकारी नहीं फीड की जाती है। देखिये पहले इसके लिए ही पैर तोडू चिकनी टाइल्स लगायी गयीं। उसके कारण भी एक साहब का केस, डी.डी. हो गया था और उन्होंने कोर्ट को यहीं कारण बताकर डिसमिशल का आर्डर रिकाल करवा लिया था। आप भी वैसे कर लीजिए। इस पर उन्होंने और झल्लाते हुए कहा हमने यह कारण बताकर जब रिकाल करने के लिए कहा तो जवाब मिला कि कहाँ क्या चल रहा है यह जानकारी रखना आपका काम है।

अब भई मैं तो इनको डिस्प्ले नहीं बल्कि रिस्कले बोर्ड कहता हूँ क्योंकि इनकी इनफारमेशन पर रिलाई करने का मतलब है रिस्क लेना। केवल 50 प्रतिशत कोर्ट है जो इसमें सही फीड करते हैं। वैसे अब कुछ सुधार हुआ है पहले तो 40 प्रतिशत ही था।❑

WORLD MIRROR

By-Nandini Gupta, Advocate

Now Indian top UK buy-to-lets

London: Indian nationals are the largest non-UK shareholders of buy-to-let companies in Britain this year, according to analysis by estate agency Hamptons. Analysis of data by Hamptons shows that Indian investors are followed by Nigerians, Poles and Irish. Indians have made up the largest group since 2023; in 2022, they were the second-largest.

In the first half of this year, Indian nationals founded 684 new buy-to-let companies, with more registered in Hillingdon than in any other area. Nigerian investors follow closely with 647 new incorporations. This shift reflects wider post-Brexit migration patterns.

Buy-to-let companies are special purpose companies set up to buy and manage residential rental properties.

EU nationals now account for 49% of non-UK shareholders, down from 65% in 2016. There has been a general fall in shareholders from the An-glosphere too. In 2016, Irish, Americans, South Africans, and Australians all featured in the top 10. By 2025, only Irish nationals remained, ranking fourth. Instead, Indian and Nigerian investors are stepping into the spotlight, despite rents falling this year for the first time in five years.

There were approximately 127,000 more Nigerian nationals and 178,000 more Indian nationals immigrating to the UK in 2023 compared with 2019, according to the Office of National statistics.

Twenty per cent of buy-to-let companies set up in UK so far this year are owned by non-UK nationals. The remaining 80% are owned by UK shareholders. Seven per cent of Indians who own UK buy-to-let companies set up over past decade live in India. At current rates, around 67,000 new companies will be set up by the end of 2025, with around 13,500 owned, at least in part, by non-UK nationals.❑

Barred London Mayor Khan from state banquet, he's the worst: Trump

US President Donald Trump said he personally asked for London Mayor Sadiq Khan to be excluded from the state banquet hosted by King Charles during his state visit to UK. "I didn't want him there... He's among the worst in the world...He's the equivalent of the Mayor of Chicago," said Trump. He further said that Sadiq has done a "terrible" job.

Church of England names Sarah Mullally as first female Archbishop of Canterbury in 491 years

For the first time in the Church of England's 491-year history, a woman has been appointed to lead it.

Downing Street announced that Bishop of London, Dame Sarah Mullally, 63, who became a Christian aged 16, would be the successor to Justin Welby who resigned in Jan over his handling of a child sex abuse scandal. Currently known as the Archbishop of Canterbury-designate, she will legally become the 106th Arch-bishop of Canterbury at her confirmation of election at St Paul's Cathedral in Jan 2026, with a service of installation taking place at Canterbury Cathedral in March 2026.

Mullally has been Bishop of London since 2018, the first woman appointed to that role too. Prior to her ordination in 2001, she was chief nursing officer for England the youngest person ever to be appointed to that role at the age of 37 having previously specialised as a cancer nurse.

The most senior bishop in the Church of England, the Archbishop of Canterbury's ministry combines many roles, including serving as primus inter pares or first among equals of the Primates of the global Anglican Communion, which consists of around 85 million people, across 165 countries, including India. The Archbishop of Canterbury also sits in the House of Lords.

Making her first address in Canterbury Cathedral, Mullally condemned the sexual abuse scandals and safeguarding issues that have dogged the Church and also antisemitism.

She has previously championed several liberal causes within the Church, including allowing blessings for same sex couples in civil partnerships and marriages.

Asked oabout same-sex relationships, Mullally said: "The Church of Engsland and the Anglican Communion have a long history of having to wrestle with... difficult issues. It's really hard for us because we're in the middle of it, and I recognise the anxiety... that is caused when difficult issues are discussed... It may not be resolved quickly."

Reforms introduced more than a decade ago have made it possible for a woman to become the 106th Archbishop of Canter-bury. It is one of the last British institutions to have been run until now only by men.

But Gafcon, a movement of Conservative global Anglicans, which is opposed to the ordination of women to holy orders. said it did not accept Mullaly as leader. It said that it showed that the English arm of the Church had "relinquished its authority to lead". Laurent Mbanda, cha-irman, Gafcon Primates Council said, "The majority of the Anglican Communion still believes that the Bible requires a male only episcopacy."

As monarch, Charles is the supreme governor of the Church of England, a role established in the 16th century when King Henry VIII broke from Catholic Church.❑

Maria Corina Machado wins 2025 Peace Noble

POPULAR CHOICE:
The Nobel committee said Maria Corina Machado, 58, is receiving the prize first and foremost for her efforts to advance democracy in Venezuela at a time democracy is also in retreat internationally

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado won the Nobel Peace Prize for promoting democratic rights in ther country and her struggle to achieve a transition to democracy.

Awarding her te peace prize, the Nobel Committee praised 'her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for ther struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy.

Maria Corina Machado united Venezuela's opposition behind her before the 2024 presidential election. After being barred from running, she backed and opposition candidate against President Nicolas Maduro.

Maduro won what was widely regarded as a rigged election, and Machado went into hiding. Maria Corina Machado, 58, was born in Caracas, Venezuela, on Oct 7, 1967. She is an industrial engineer by training, and her father was a prominent businessman in Venezuela's steel industry. Her upper class roots have made her a target of criticism from Venezuela's governing socialist party.❑

UK: tough residency rules a head

London: Shabana Mahmood used her maiden speech as UK home secretary to spell out some "tough" crack-downs on illegal and legal routes to immigration, with longterm residents expected to not only wait longer but also meet additional crit-eria before being considered for settlement rights.

In her keynote address at the annual Labour Party con-ference in Liverpool, the Kashmiri heritage minister referenced her parents' migrant journey in the 1970s to highlight that future applicants for indefinite leave to remain (ILR) must display highlevel English language skills, no criminal record, regular tax contributions without any reliance on UK taxpayer benefits.

As part of an ongoing consultation, the time migrants must wait before being considered for ILR is already set to double, from five to 10 years, with the minister confirming that she will add further caveats to that process to make it tougher to settle in Britain.

These changes to the current five-year automatic route to ILR, which eventually opens up the prospect of British citizenship, are set to impact migrants from all parts of the world, including India.❑

○डॉ0 एस0के0 शर्मा, एडवोकेट

नयी कार्यकारिणी–

अवधबार एसोसिएशन के सदस्यों ने 2025-26 के लिए अपनी नयी कार्यकारिणी का चुनाव बहुत ही गरिमामय तरीके से किया। कार्यकारिणी के इस वार्षिक चुनाव में सदस्यों ने पं. एस. चंद्रा (सुभाष चंद्र मिश्रा) अध्यक्ष, डॉ शैलेन्द्र शर्मा 'अटल' उपाध्यक्ष (वरिष्ठ), हरिओम पांडे उपाध्यक्ष (मध्य), पवन कुमार सिंह उपाध्यक्ष (मध्य), राघवेन्द्र पाण्डेय उपाध्यक्ष (जूनियर), ललित किशोर तिवारी (ललित तिवारी) महासचिव, गौरव श्रीवास्तव संयुक्त सचिव-प्रथम, अंगद प्रसाद शुक्ला संयुक्त सचिव-द्वितीय, आशुतोष सिंह संयुक्त सचिव-तृतीय, आलोक कुमार त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, रंजना श्रीवास्तव, आदर्श मेहरोत्रा, अजय सिंह, कौशल मणि त्रिपाठी, दिवाकर नाथ तिवारी, वेदिता गुप्ता वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, अंकित मिश्रा, अभिषेक त्रिपाठी, पुष्पांजलि पांडे, श्वेता सिंह, नीलिमा जयसवाल, राम सुफल यादव कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य चुने गये।

चुनाव में अनूठी पहल

अवधबार के चुनाव को लेकर जितनी ज्यादा मुकदमेंबाजी एवं अड़गेंबाजी हुई हो लेकिन उससे ज्यादा सुखद उसका अन्त रहा।

कोर्ट के आदेश से बनी चुनाव समिति जिसके आधार स्तम्भ वरिष्ठ अधिवक्ता हरगोविन्द सिंह परिहार, एवं अधिवक्तागण एस0सी0 कशिश, शरद पाठक, अमित जायसवाल, डॉ दीप्ती त्रिपाठी, तनवीर अहमद सिद्दीकी, शुभम त्रिपाठी एवं उनकी पूरी चुनाव टीम ने जिस प्रकार से दिनरात मेहनत करके स्वस्थ एवं पारदर्शी चुनाव कराया उसके लिए पूरी टीम की सराहना की गयी।

इस चुनाव समिति की सबसे अनूठी पहल थी KYC (Know Your Candidate) अपने प्रत्याशी को जाने जिसके लिए सभी प्रत्याशियों को एक समय आवंटित किया गया कि वे आकर अपना संबोधन करें एवं वोटरों के प्रश्नों का जवाब दें। पूरी चुनाव टीम ने बहुत ही समपर्ण, निःस्वार्थ एवं निश्पक्ष भाव के साथ अथक परिश्रम से सभी झंझावतो को दर किनार करते हुए चुनाव सम्पन्न कराया।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
बार के पदाधिकारियों के साथ

माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन राय एवं माननीय न्यायमूर्ति
बृजेश कुमार बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ

कार्यकारिणी का सराहनीय प्रयास'

दशकों बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोइ बार एसोसियेशन है जो आम अधिवक्ता के हितों के प्रति सचेत व प्रयासरत है। इस कार्यकारिणी ने विशेषकर अध्यक्ष पं0 एस0 चन्द्रा एवं महा सचिव ललित तिवारी ने इन दो महीनों में अपने कार्य व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि 'जहां चाह वहां राह'